न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)—जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 35/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. बंशी पुत्र पन्ना
2. रामकुवार पुत्र पन्ना
3. राधेश्याम पुत्र पन्ना

समस्त जाति अहीर ग्राम हरनाथपुरा तहसील फुलेरा मुं0 सांभर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 07.07.2021
5. अधिवक्तागणो का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभर द्वारा न्यायालय के समक्ष सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम हरनाथपुरा तहसील फुलेरा सम्वत 2011—2029 के आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. खड्डा सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में बंशी लाल, रामकुवार, राधेश्याम पुत्रान पन्ना जाति अहीर निवासी हरनाथपुरा के नाम खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 53/128 रकबा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 32 से पन्ना पुत्र जीवनराम जाति अहीर ग्राम हरनाथपुरा को जरिये आवंटन दिनांक 9.5.1977 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै. मु. खड्डा दर्ज थी, जो राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुपालन में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार कराकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित कराते हुए किस्म भूमि पूर्ववुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2059 से 2062 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा दिनांक 10.01.2006 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 में अंकित किया है कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में राजस्व अभिलेख नाडी, तालाब, नदी, नाला, झील, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है। परन्तु गैर मु० खड्डा की भूमि बाबत रेफरेंस प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

विवादित भूमि सेटलमेंट खतौनी संवत् 2011–2029 अनुसार गैर मु० खड्डा होना स्पष्ट है, जो जलस्त्रोत के अन्तर्गत नहीं आती है व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है तथा इस पर किया गया आवंटन/नियमन अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है।" उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा रेफरेंस को अस्वीकार कर प्रकरण पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो रेफरेन्स तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल तहसील जोबनेर को प्रकरण का पुनः परीक्षण कर यदि विवादग्रस्त आराजी कोई जलस्त्रोत में से किसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है तो नवीन रेफरेन्स भिजवाने हेतु बार–बार निर्देशित किया गया। परन्तु तहसीलदार द्वारा आंदिनाक तक प्रकरण में परीक्षण रिपोर्ट मय टिप्पणी पेश नही की गई है। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो तहसीलदार सरकार की ओर से भूमि धारक होने के कारण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 की पालना में अपनी रिपोर्ट मय टिप्पणी के प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमे तहसीलदार असफल रहे है।

अतः रेफरेन्स का निस्तारण किया जाकर निर्देश है कि रेफरेन्साधीन भूमि गै0मु0 खड्डा है जो कि जल स्त्रोत की श्रेणी में नही आती है। ऐसी स्थिति में यदि भूमि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धति श्रेणी में आती हो तो परीक्षण किया जाकर नियमानुसार समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की सम्पूर्ण वल्दियत पता, आवंटन आदेश आदि के साथ नियमानुसार रेफरेन्स प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.25 मेरे इजलास सुनाया गया। बाद निर्णय पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर